Inviting of applications for appointment to the post of Chief Economic Adviser (CEA) on Deputation (including short term contract) / Contract basis in the Department of Economic Affairs

1.	Name of the Post	Chief Economic Adviser
2.	Number of the Post	01 (One)
3.	Ministry / Department	Ministry of Finance, Department of Economic Affairs
4.	Pay Matrix / Pay Band with Grade pay / Scale of Pay	Level 17 (`2,25,000/- as per 7 th CPC)
5.	Method of Recruitment	Deputation (including short term contract) / Contract basis)

Eligibility Conditions:-

Eligibility Conditions:-

- (1) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or Public Sector Enterprises or Reserve Bank of India or Public Sector Banks or,
- (2) Candidates from recognised Universities or recognised Research Institutions or Central Regulatory Bodies or Semi Government or Statutory or Autonomous bodies or registered Private Institutions or Financial Institutions.
- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
 - (ii) with two years regular service in the scale of `67000-79000 [Level 15 (Rs. 182200 Rs. 224100) as per 7th CPC] or equivalent; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :-

Essential:

- (i) Master's Degree in Economics or Finance from a recognised University or Institution;
- (ii) six years' experience in Economic Research or Providing Economic Advice or Evaluation of Economic Reforms including administrative experience of one year in Central Government or State Government or Union territory Administrations or Public Sector Enterprises or Reserve Bank of India or Public Sector Banks or recognised Universities or recognised Research Institutions or Central Regulatory Bodies or Semi Government or Statutory or Autonomous bodies.

Desirable:

- (i) Doctorate Degree in Economics or Finance from a recognised University or Institution;
- (ii) Published Research work in International or National journals in the area of economics.

The Selection Committee reserves the right to invite and short-list suitable individuals from outside the list of applicants for the posts.

Note 1: Deputationists shall only be from the Central Government or State Government or Union territory Administrations; contractual/short-term contractual appointees shall be from rest of the organisations mentioned above.

Note 2: The contractual appointees shall have to possess only the educational qualifications, and the experience specified in sub-item (ii) of item (b) above shall not be applicable in their case.

Note 3: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract/contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 5: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

7.	Last Date of receipt of application	20 days from the date of publication of t	the
		advertisement.	

The applications may be addressed to the Under Secretary (Ad-VI), Administration Division, Room No.230, North Block, Department of Economic Affairs, New Delhi – 110001. The applications can also be submitted at the e-mail ID garg.anita@nic.in.

(Sanjeev Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India

1 +91 11 2309 5060

आर्थिक कार्य विभाग में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पाविध संविदा सहित)/संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु

1	पद का नाम	मुख्य आर्थिक सलाहकार
2	पद की संख्या	01(एक)
3	मंत्रालय/ विभाग	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग
4	ग्रेड वेतन/वेतन मान सहित वेतन मैट्रिक्स/ वेतन बैंड	स्तर-17(₹ 2,25,000/- 7वें वेतन आयोग के अनुसार
5	भर्ती की प्रक्रिया	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)/संविदा आधार पर

6. पात्रता शर्ते

पात्रता शर्तै: -

- (1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारतीय रिजर्व बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी या,
- (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या केंद्रीय विनियामक निकायों या अर्ध सरकारी या वैधानिक या स्वायत्त निकाय या पंजीकृत निजी संस्थान या वित्तीय संस्थान के अभ्यर्थी ।
- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सहश पद; या
- (ii) ₹ 67000-79000 [स्तर 15 (रु. 182200- रु. 224100) 7वें वेतन आयोग के अनुसार] या समकक्ष में दो वर्ष की नियमित सेवा; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले:-

आवश्यक:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वित्त में स्नातकोत्तर डिग्री;
- (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारतीय रिजर्व बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय विनियामक निकाय या अर्ध सरकारी या वैधानिक या स्वायत्त निकाय में एक वर्ष की प्रशासनिक अनुभव सहित आर्थिक अनुसंधान या आर्थिक सलाह प्रदान करने या आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन में छह वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वित्त में डॉक्टरेट की डिग्री;
- (ii) अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध कार्य।

चयन समिति पदों के लिए आवेदकों की सूची से इतर उपयुक्त व्यक्तियों को आमंत्रित करने और शॉर्ट-लिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।

ठिप्पणी 1: प्रतिनियुक्त केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से होंगे; संविदात्मक/अल्पावधिक संविदात्मक नियुक्त ऊपर उल्लिखित संगठनों से इतर संगठनों से होंगे। टिप्पणी 2: संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के पास केवल शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए, और उपरोक्त मद (ख) के उप-मद (ii) में विनिर्दिष्ट अनुभव उनके मामले में लागू नहीं होगा।

टिप्पणी 3: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध सिहत (अल्पाविधक संविदा सिहत) प्रतिनियुक्ति की अविध (अल्पाविधक संविदा सिहत) सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पावधिक संविदा/संविदा सहित) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 5: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर 1 जनवरी, 2006 से पहले की गई सेवा या जिस तारीख से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय इसके कि जहां एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक ग्रेड में एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का विलय किया गया हो और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड में हो।

7.	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख	विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 20
		दिन

यह आवेदन अवर सचिव (प्रशा. IV), प्रशासन प्रभाग, कमरा संख्या 230 नॉर्थ ब्लॉक, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली-110001 को भेज सकते है। इस आवेदन को e-mail ID garg.anita@nic.in में भी भेज सकते है।

(संजीव गुप्ता) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष संख्या +91 11 2309 5060